



# उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

बुधवार, 08 मार्गशीर्ष, शक संवत् 1945  
(29 नवम्बर, 2023)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क')।

(12:20 बजे अपराह्न)

2-वित्त मंत्री, वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों को प्रस्तुत करेंगे।

3-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 2021, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-200 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था और जो संविधान के अनुच्छेद-175 के खण्ड-(2) सपटित अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल के संदेश सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुआ है, को सदन की मेज पर रखेंगे।

(संदेश के लिये देखें नत्थी 'ख')

4-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1074/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-223-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(277)-2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

5-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1075/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-224-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(278)-2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

6-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1076/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-225-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(279)-2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

7-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1077/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-226-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(280)-2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

8-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1078/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-227-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(281)-2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

9-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1054/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-219-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(282)-2023, दिनांक 09 अगस्त, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

10-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1053/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-218-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(283)-2023, दिनांक 09 अगस्त, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

11-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1055/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-220-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(284)-2023, दिनांक 09 अगस्त, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

12-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1056/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-221-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(285)-2023, दिनांक 09 अगस्त, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

13-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1057/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-222-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(286)-2023, दिनांक 09 अगस्त, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

14-मुख्य मंत्री, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 की बत्तीसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019 एवं तैंतीसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2019-2020 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) की उपधारा-बी के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

15-वित्त मंत्री, निदेशक, सहकारी समितियों एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 (भाग-1, भाग-2 एवं भाग-3) को उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-186 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-176 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

16-वित्त मंत्री, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा-8 (3) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

17-नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2022-23 को उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 की धारा-28 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

18-खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ का 2014-15 का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा एवं 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुये वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा-30 की उपधारा- (5) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

19-कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1 की अधिसूचना 10/2023/313/80-1-2023-80-1099-18-2023, दिनांक 16-08-2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (सत्ताइसवां संशोधन) नियमावली, 2023 को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा-40 की उपधारा (3) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

20-परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद मुरादाबाद के सम्भागीय परिवहन कार्यालय में आर0टी0ओ0 के संरक्षण में चल रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में डा0 सुधीर गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

21-परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश परिवहन निगम लिमिटेड, वाराणसी में स्व0 शीतल प्रसाद श्रीवास्तव के आश्रितों को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

22-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-भिलवल, विकास खण्ड-त्रिवेदीगंज, तहसील-हैदरगढ़, जनपद-बाराबंकी के निवासियों की ओर से अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिये देखिये नत्थी 'ग')

23-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-कोटिया, विकास खण्ड-पलिया, जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासियों की ओर से सड़क व पुल का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिये देखिये नत्थी 'घ')

24-डा0 सरोजनी अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-शेखपुरी, विकास खण्ड-रोहटा, जनपद-मेरठ के निवासियों की ओर से शमशान घाट का सौंदर्यीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिये देखिये नत्थी 'ङ')

25-डा0 सरोजनी अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत कंकर खेड़ा, आर्य नगर, सरधना रोड, जनपद-मेरठ के निवासियों की ओर से पीने के पानी हेतु लगे नलकूप के विद्युत बिल का भुगतान नगर निगम से करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिये देखिये नत्थी 'च')

26-श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत तहसील-राठ, जनपद-हमीरपुर के निवासियों की ओर से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का संचालन करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिये देखिये नत्थी 'छ')

27-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत वाजिदपुर उर्फ राजेपुर, आवास विकास कालोनी, नगर पालिका परिषद्, जनपद-उन्नाव के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिये देखिये नत्थी 'ज')

28-मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि :-

“(1) मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 2021, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-175 के खण्ड-2 सपठित अनुच्छेद-200 के अधीन श्री राज्यपाल के संदेश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाये।

(2) मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधान परिषद् में लम्बित उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 को वापस लेने की अनुमति दी जाये।”

लखनऊ :

बुधवार, 08 मार्गशीर्ष, शक संवत् 1945

(29 नवम्बर, 2023)

आज्ञा से,

**डा0 राजेश सिंह,**

प्रमुख सचिव।



29 नवम्बर, 2023

विधान परिषद् के तृतीय सत्र (2023) का प्रथम बुधवार

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/प्राप्त होने की तिथि
*1	20-9-2023
*2	20-9-2023
*3	20-9-2023
*4	20-9-2023
*5	20-9-2023
*6	20-9-2023
*7	5-10-2023
*8	16-10-2023
*9	8-11-2023
*10	14-11-2023
*11	14-11-2023
*12	14-11-2023
*13	14-11-2023
*14	14-11-2023
*15	14-11-2023
*16	14-11-2023
*17	14-11-2023

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/प्राप्त होने की तिथि
<b>अतारांकित प्रश्न</b>	
1	20-9-2023
2	5-10-2023
3	8-11-2023



## नत्थी 'क'

बुधवार, दिनांक 29 नवम्बर, सन् 2023 ई0

### तारांकित प्रश्न

प्रदेश में दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 06 सितम्बर, 2023 के मध्य श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत प्राप्त रोजगार के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव

1

\*1-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 06 सितम्बर, 2023 के मध्य श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को स्थाई तथा कितने व्यक्तियों को अस्थायी रोजगार के अवसर प्राप्त हुये हैं ?

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

दिनांक 30 मई, 2022 के बाद दिनांक 08 सितम्बर, 2023 तक मुख्य मंत्री त्वरित योजना के अन्तर्गत विधायकों के स्वीकृत प्रस्ताव के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा

2

\*2-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 30 मई, 2022 के बाद दिनांक 08 सितम्बर, 2023 तक मुख्य मंत्री त्वरित योजना के अन्तर्गत कितने विधायकों के प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

मुख्य मंत्री

(ख) क्या मुख्य मंत्री त्वरित योजना के अन्तर्गत प्रश्नकर्ता के भी कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ?

(ग) यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता के कितने प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

**प्रदेश में विभिन्न वित्तीय वर्षों में सरकार द्वारा गेहूँ खरीद के लक्ष्य को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में**

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य

3

\*3-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 में गेहूँ खरीद के कितने क्रय केन्द्र बनाये गये तथा सरकार द्वारा खरीद का लक्ष्य कितना था एवं कितने-कितने कुन्टल गेहूँ की खरीद की गयी ?

मुख्य मंत्री

(ख) क्या निर्धारित खरीद के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

**राजधानी लखनऊ से जनपद-हरदोई के अन्तर्गत बन्द परिवहन निगम की बस सेवा को पुनः संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में**

श्री अशोक अग्रवाल

4

\*4-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि राजधानी लखनऊ से ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों जो आवागमन की सुविधा से वंचित हैं, जनहित में ऐसे ग्रामों/टाउन एरिया आदि में राजकीय परिवहन निगम की बसों का संचालन कराये जाने की योजना है ?

परिवहन राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो क्या राजधानी लखनऊ से प्रातः 7:00 बजे व अपराह्न 3:00 बजे सण्डीला, भजेहटा-समुखा होते हुए वाया टाउन एरिया कुरसथ होकर माधौगंज, बिलग्राम तक (जनपद-हरदोई के अन्तर्गत) जाने एवं उसी प्रकार बिलग्राम/माधौगंज-कुरसथ-समुखा-भजेहटा-सण्डीला होते हुए लखनऊ हेतु प्रातः 7:00 बजे व अपराह्न 3:00 बजे उ0प्र0 राज्य परिवहन निगम कैसरबाग-लखनऊ डिपो की बस का संचालन किया जा रहा था, जो विगत काफी समय से बन्द है ?

(ग) क्या जनहित में जनता की परिवहन की कठिनाई एवं मांग के दृष्टिगत प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र जनपद हरदोई के अन्तर्गत उक्त बन्द की गयी बस सेवा को ग्रामीण जनता को सुगम यातायात उपलब्ध कराने हेतु परिवहन निगम की बस को पुनः संचालित करायेंगे ?

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

**उ0प्र0 में आर्थिक प्रगति के निर्धारण कराने में प्रति व्यक्ति आय को भी आधार बनाये जाने के सम्बन्ध में**

श्री भीमराव अम्बेडकर

5

\*5-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 में आर्थिक प्रगति का निर्धारण कराने में प्रति व्यक्ति आय को भी आधार बनाया जाता है ?

मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय क्या है ?

(ग) क्या प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा ?

(घ) यदि हाँ, तो कैसे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

**सरकारी और निजी क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं में श्रम कर के नाम पर प्राप्त की गई धनराशि तथा व्यय किये गये धन के सम्बन्ध में**

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी

6

\*6-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि सरकारी और निजी क्षेत्रों में कितनी धनराशि पुल, सड़क, स्कूल, सरकारी कार्यालय एवं निजी भवनों के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत, श्रम कर के नाम पर दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से 31 अगस्त, 2023 तक कितनी धनराशि प्राप्त की गई ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

(ख) उक्त धनराशि में से किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत श्रमिकों एवं उनके बच्चों को कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान की गई तथा उस पर कितना धन व्यय किया गया ?

(ग) क्या उक्त की विस्तृत आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

**जनपद-कानपुर नगर में केयर सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, श्रम विभाग को सम्बोधित-पत्र के सम्बन्ध में**

श्री राज बहादुर सिंह चन्देल

7

\*7-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-कानपुर नगर में केयर सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में उमेश द्विवेदी, सदस्य, विधान परिषद् का पत्रांक 381 दिनांक 25-08-2023 जो प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

**जनपद-गाजियाबाद में सामूहिक कन्या विवाह योजना में हुयी  
अनियमितताओं के सम्बन्ध में**

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह

8

\*8-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-गाजियाबाद के सामूहिक कन्या विवाह योजना में बड़े पैमाने पर हो रही अनियमितताओं पर कब तक रोक लगायेंगे ?

श्रम एवं सेवायोजन

मंत्री

(ख) क्या नियमों को ताक पर रखकर एक ही माता-पिता के 02 पुत्रियों के स्थान पर 03 पुत्रियों को दिखाकर श्रम विभाग से अनुदान लिया गया है, जबकि वास्तविक माता-पिता को कुछ पता ही नहीं है ?

(ग) क्या कूटरचित दस्तावेजों को संलग्न कर अनियमितताओं को अंजाम दिया जा रहा है ?

(घ) श्रम विभाग के अधिकारियों से मिली भगत कर पंजीकृत श्रमिकों की जानकारी लेकर उनके नाम से अनुदान राशि हड़प ली गयी है ?

(ङ) जनपद-गाजियाबाद के श्रम विभाग में अनियमितताओं से सम्बन्धित अधिकारियों पर कार्यवाही कब तक करायेंगे ?

**प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के रोजगार बढ़ाये जाने एवं  
बेरोजगार युवाओं के उत्थान के सम्बन्ध में**

डा0 आकाश अग्रवाल

9

\*9-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार युवकों के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए क्या कार्य कर रही है, तथा प्रदेश में कुल कितने युवक बेरोजगार हैं ?

श्रम एवं सेवायोजन

मंत्री

(ख) क्या जो व्यक्ति टेला (सब्जी, फल, आइस्क्रीम, चाट, गोल गप्पे, पापड़ी, पाव भाजी, भेल पूरी) आदि लगाते हैं उन युवकों को भी रोजगार युक्त की श्रेणी में मानती है और टेला लगाने वाले युवकों के उत्थान के लिए भी कुछ कार्य करती है ?

(ग) आगरा में ताज नगरी फेस टू डबल ट्री हिल्टन के सामने से पंचवटी जाने वाले मार्ग पर शाम के समय लगभग 300 खाने का टेला लगता था, जिसे प्रशासन ने हटा दिया, जिसके कारण लगभग 1000 युवक बेरोजगार हो गए ?

(घ) इन टेलों को हटाने का क्या कारण रहा ?

(ङ) उक्त बेरोजगार हुए युवकों को किसी अन्य जगह स्थानान्तरित किया जाएगा, जिससे इन 1000 युवकों का रोजगार बचाया जा सके ?

(च) क्या उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

**प्रदेश के मजदूरों को 'मजदूर सम्मान निधि' दिलाये जाने के सम्बन्ध में**

श्री भीमराव अम्बेडकर  
10

\*10-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि उ0 प्र0 में मजदूरों को भी पेंशन दी जाती है ?

श्रम एवं सेवायोजन  
मंत्री

(ख) यदि नहीं, तो मजदूरों को 'मजदूर सम्मान निधि' देने पर विचार करेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

**वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के अन्तर्गत दिनांक 12 सितम्बर, 2023 तक क्रय की गयी नई बसों के सम्बन्ध में**

डा0 मान सिंह यादव  
11

\*11-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के अन्तर्गत कितनी नई बसों का दिनांक 12 सितम्बर, 2023 तक क्रय किया जा चुका है और आगे क्या लक्ष्य है ?

परिवहन राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

**प्रदेश के जिला कारागारों में निरुद्ध बन्दियों को शिक्षित कराने एवं संविधान की प्रतियाँ वितरित कराये जाने के सम्बन्ध में**

श्री भीमराव अम्बेडकर  
12

\*12-(क) क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के जिला कारागारों में बन्दियों को पढ़ाने व शिक्षित किये जाने के कार्य किये जाते हैं ?

कारागार राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो सभी कैदियों को भारतीय संविधान की प्रतियाँ वितरित कराने पर विचार करेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

**प्रदेश में खनिकर्म के कार्य हेतु वितरित पट्टे एवं प्राप्त राजस्व के सम्बन्ध में**

डा0 मान सिंह यादव  
13

\*13-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में खनिकर्म के कार्य हेतु कुल कितने लोगों को पट्टे दिये गये हैं ?

मुख्य मंत्री

(ख) उक्त पट्टों से सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

**जनपद-गोरखपुर के सभी परिवहन डिपो में चालकों एवं परिचालकों की कमी के सम्बन्ध में**

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी  
14

\*14-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-गोरखपुर के सभी डिपो यथा गोरखपुर डिपो, वर्डघाट डिपो, राप्तीनगर डिपो में चालकों एवं परिचालकों की कमी के कारण विभाग की कितनी बसें संचालित नहीं की जा रही हैं ?

परिवहन राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) क्या समाचार-पत्रों में वृहद् रूप से बन्द बसों का समाचार प्रकाशित होने से विभाग की छवि धूमिल हुई है ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त की उच्च स्तरीय जांच कराकर जांच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

**जनपद उन्नाव के शुक्लागंज में नये बस अड्डे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में**

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य  
15

\*15-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद उन्नाव का रोडवेज बस अड्डा शहर के अन्दर होने के कारण कानपुर से लखनऊ की बसों को बस अड्डे पर न लेकर सीधे हाई-वे से निकाला जाता है ?

परिवहन राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो शुक्लागंज में एक नये बस अड्डे का निर्माण करायेंगे, जिससे शुक्लागंज तथा आस-पास के ग्रामीण यात्रियों को बसों से यात्रा करने में सुविधा हो सके ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

**जनपद-सिद्धार्थनगर में मिट्टी एवं खनन करने वाले ट्रैक्टर, ट्रालियों एवं लोडरों के किये गये चालान के सम्बन्ध में**

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी  
16

\*16-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर में मिट्टी एवं खनन करने वाले ट्रैक्टर-ट्राली या समतली करने हेतु खुदाई करने वाले मिट्टी लोडरों से प्रशासन द्वारा (वर्ष 2021-22 एवं 2022-23) में कितनों का चालान किया गया और इससे कितनी धनराशि की वसूली की गयी ?

मुख्य मंत्री

(ख) क्या निर्माणाधीन घरों की पटाई हेतु पुलिस और प्रशासन द्वारा अवैध वसूली शुल्क न देने के कारण यह चालान किये गये हैं ?

(ग) यदि हाँ, तो चालान के नाम पर लिखे गये जुर्माने की उच्च स्तरीय जाँच कराकर जांच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

**प्रदेश में परिवहन विभाग के अन्तर्गत मृतक आश्रित की प्रक्रिया एवं वर्ष 2019 से अब तक प्रदत्त नियुक्तियों के सम्बन्ध में**

श्री आशुतोष सिन्हा  
17

\*17-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग में मृतक आश्रित के तहत नियुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया क्या है ?

परिवहन राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) परिवहन विभाग में सन् 2019 से अब तक कितने मृतक आश्रितों को नियुक्ति दी गई ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

**अतारंकित प्रश्न**

श्री अशोक अग्रवाल  
1

1-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि आवास विकास कालोनी, राजाजीपुरम, लखनऊ के अन्तर्गत सी-ब्लाक, सेक्टर 10 व 13 के मध्य ट्यूबवेल नम्बर-10 के पास दर्जनों ट्रक पार्क के चारों ओर अवैध रूप से सायं 04:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक खड़े कर ट्रकों का स्टैण्ड बना दिया गया है तथा पार्क की बाउण्ड्री क्षतिग्रस्त कर दी गयी है ?

परिवहन राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) क्या पार्क में टहलने आने वाली जनता एवं आस-पास के निवासियों तथा स्कूल जाने वाले छात्रों को आवागमन में भारी बाधा उत्पन्न हो रही है ?

(ग) क्या जनहित में आवासीय परिसर में खड़े हो रहे ट्रकों को प्रवर्तन अधिकारियों एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम गठित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही कराते हुए स्थायी समाधान करायेंगे ?

(घ) क्या शासन द्वारा अवैध रूप से आवासीय परिसर में खड़े किये जा रहे ट्रक/मेटाडोर की जाँच कराकर ट्रक संचालकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से खड़े किये जा रहे ट्रकों को हटाये जाने हेतु नियमित

साप्ताहिक जाँच कराकर प्रवर्तन अधिकारियों/स्थानीय पुलिस की टीम का गठन कर कार्यवाही कराते हुए अवैध रूप से खड़े किये जा रहे ट्रकों को हटाये जाने हेतु प्रवर्तन अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कराते हुए नियमित जाँच कराते हुए पुनः ट्रकों का ठहराव न हो, कार्यवाही करायेगे ?

(ड) यदि हाँ, तो कब तक ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी  
2

2-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि गोरखपुर परिक्षेत्र के क्षेत्र महाप्रबन्धक के परिक्षेत्र में संचालित होने वाले डिपो से कुल कितनी बसें संचालित होती हैं और उन बसों से वित्तीय वर्ष 2021 से 2023 में अब तक कुल कितनी आय हुई तथा उक्त संचालित बसों के रख-रखाव व मरम्मत के नाम पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

परिवहन राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) क्या क्षेत्रीय महाप्रबन्धक गोरखपुर के संरक्षण में सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ?

(ग) क्या उक्त प्रकरण की जाँच कराकर जांच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री आशुतोष सिन्हा  
3

3-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-चन्दौली के चकिया विकास खण्ड के ग्राम-बैरी में पंचायत भवन के पास सरकारी भूमि होने के बावजूद राशन की दुकान के निर्माण हेतु किसी दूसरे गांव में गैर सरकारी भूमि दान में क्यों ली गई है ?

मुख्य मंत्री

(ख) क्या राशन के दुकानों के निर्माण के लिए जारी शासनादेश में कोई ऐसा बिन्दु है कि पंचायत भवन के पास सरकारी भूमि होने के बावजूद भी निजी भूमि दान लेकर खाद्य एवं रसद विभाग राशन की दुकानों का निर्माण करेगा ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

-----

आनंदीबेन पटेल,  
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।



दिनांक 09 मई, 2023

## नत्थी 'ख'

### सन्देश

चूँकि, उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 राज्य विधान मण्डल से पारित कराये जाने के उपरान्त उसे राष्ट्रपति महोदय के विचारार्थ आरक्षित कर भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजा गया था;

और, चूँकि, उक्त विधेयक में भारत सरकार द्वारा कतिपय संशोधन करने के लिये सुझाव दिया गया है;

और, चूँकि, भारत सरकार के उक्त सुझाव के अनुसार उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 को संशोधित करने का मा0 मंत्रि-परिषद् द्वारा विनिश्चय किया गया है, जिसके लिये यह आवश्यक है कि उक्त विधेयक, 2021 को भारत सरकार से वापस लेकर उसके स्थान पर भारत सरकार के उक्त सुझाव में अन्तर्विष्ट संशोधनों को सम्मिलित करते हुये उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2023 राज्य विधान मण्डल से पारित कराकर उसे राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु भारत सरकार को सन्दर्भित किया जाय;

और, चूँकि, उक्त नया विधेयक लाये जाने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 को वापस लिये जाने का भी विनिश्चय मा0 मंत्रि-परिषद् द्वारा किया जा चुका है;

अतएव मैं, आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 175 के खण्ड (2) सपटित अनुच्छेद 200 के अधीन उक्त विधेयक की मूल पार्चमेण्ट प्रतियां सदन को वापस करते हुये यह सन्देश देती हूँ कि उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 को वापस लिये जाने की वांछनीयता पर राज्य विधान मण्डल के दोनों सदन यथोचित समय पर पुनर्विचार करें।

आनंदीबेन पटेल।

-----





## नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि  
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

मा0 सदन,  
विधान परिषद्,  
उ0प्र0, लखनऊ।

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम पंचायत भिलवल, विकास खण्ड त्रिवेदीगंज, तहसील हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भिलवल में अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कराये जाने हेतु हम सब पिछले कई वर्षों से प्रयासरत् हैं, किन्तु इस ओर कोई सफलता नहीं मिल सकी।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम पंचायत भिलवल, विकास खण्ड त्रिवेदीगंज, तहसील हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भिलवल में अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कराये जाने हेतु याचिका समिति को सन्दर्भित करने की कृपा करें। इस हेतु जिला स्तर पर धनराशि भी उपलब्ध है।

प्रार्थीगण,  
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

## नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि  
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

मा0 सदन,  
विधान परिषद्,  
उ0प्र0, लखनऊ।

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम पंचायत कोटिया, विकास खण्ड-पलिया, जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत पलिया निघासन राजमार्ग से प्राथमिक विद्यालय बनघुसरी होते हुए ग्राम कोटिया को जाने वाला सम्पर्क मार्ग एवं पुल

अत्यन्त क्षतिग्रस्त एवं जर्जर हो गया, जिससे ग्राम कोटिया, हरिजन बस्ती नयापुरवा बनघुसरी, भगवन्तपुर, गुलरा, चौखडाफार्म सहित अनेकों ग्रामवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त ग्राम पंचायत कोटिया एवं अन्य ग्रामों को जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग एवं पुल का निर्माण कराये जाने हेतु हम पिछले कई वर्षों से प्रयासरत हैं, किन्तु इस ओर कोई सफलता नहीं मिल सकी।

अतः मा0 सदन से आग्रह है कि ग्राम पंचायत कोटिया जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोटिया एवं अन्य ग्रामों को जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग एवं पुल का निर्माण कराये जाने हेतु याचिका समिति को सन्दर्भित करने की कृपा करें। इस हेतु जिला स्तर पर धनराशि भी उपलब्ध है।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

## नत्थी 'ड'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

आदरणीय सदन,

विधान परिषद्, उ0प्र0।

**विषय :-** हम ग्रामवासियों के लिये शमशान घाट का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका।

महोदय,

निवेदन है कि हमारे गांव शेखपुरी, विकास खण्ड-रोहटा, जिला-मेरठ में शमशान घाट की हालत बहुत खराब है, शमशान घाट की न ही चहारदीवारी है और न ही अन्तिम संस्कार करने के लिये उचित सुविधा है, इसके लिये हम ग्रामवासियों ने क्षेत्र के अधिकारियों को कई बार सूचित किया है, किन्तु कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि गांव शेखपुरी, विकास खण्ड-रोहटा, जिला-मेरठ में शमशान घाट का सौन्दर्यीकरण कराये जाने की कृपा करें, पूर्व में जिलाधिकारी को भेजे गये रजिस्ट्री पत्र की रसीद संलग्न है।

प्रार्थीगण,

08 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

## नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि  
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

आदरणीय सदन,  
विधान परिषद्, उ०प्र०।

**विषय :-** आर्यनगर कॉलोनी स्थित सरधना रोड कंकर खेड़ा, मेरठ में पीने के पानी हेतु नलकूप के बिल का भुगतान नगर निगम से कराने के सम्बन्ध में याचिका।

महोदय,

निवेदन यह है कि आर्यनगर कॉलोनी स्थित सरधना रोड कंकर खेड़ा, मेरठ में लगभग 150 परिवार निवास करते हैं, कॉलोनी में पीने के पानी हेतु कॉलोनीवासियों ने अपना निजी नलकूप लगवाया हुआ है, जिसके बिल का भुगतान वहाँ के कॉलोनीवासी स्वयं चन्दा एकत्र करके करते हैं, कॉलोनीवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराना नगर निगम की जिम्मेदारी होती है, परन्तु अब नलकूप के विद्युत बिल का भुगतान करने में कॉलोनीवासियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हेतु हम प्रार्थीगणों ने इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारियों को कई बार प्रार्थना-पत्र भी दिया, किन्तु अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि आर्यनगर कॉलोनी स्थित सरधना रोड कंकर खेड़ा, मेरठ में कॉलोनीवासियों द्वारा लगवाये गये नलकूप के विद्युत बिल का भुगतान नगर निगम के माध्यम से करवाये जाने के सम्बन्ध में सदन के माध्यम से याचिका प्रस्तुत कर रहा हूँ। पूर्व में जिलाधिकारी को भेजे गये रजिस्ट्री की रसीद प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न है।

प्रार्थीगण,

07 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

## नत्थी 'छ'

याचिका की प्रतिलिपि  
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,  
विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

**विषय :-** तहसील राठ, जनपद हमीरपुर में वादकारियों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संचालित कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण तहसील राठ, जनपद हमीरपुर के निवासी हैं, वर्ष 1997 में कस्बा राठ, हमीरपुर में सिविल कोर्ट, राठ (जू०डि०) न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थापना हुई थी। वर्ष 2013 में

अधिवक्ता संघ, राठ द्वारा वादकारियों की समस्याओं को देखते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना तहसील राठ में किये जाने की माँग की गयी थी, जिसके क्रम में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के संचालन हेतु बार भवन, राठ में मानक के अनुरूप कोर्ट भवन के कक्ष इत्यादि का निर्माण कार्य पूर्ण होकर भवन का कब्जा दिनांक 16-10-2020 को प्रभारी नाजिर, जनपद न्यायालय, हमीरपुर को प्रदान किया जा चुका है। कोर्ट का संचालन प्रारम्भ न होने पर बार एसोसिएशन, राठ द्वारा पुनः दिनांक 05-10-2023 को माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति (हमीरपुर परिक्षेत्र) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रार्थना-पत्र दिया गया, उसके उपरान्त दिनांक 18-11-2023 को माननीय सभापति, विधान परिषद् को ज्ञापन-पत्र सौंपा गया, जिस पर मा0 सभापति जी द्वारा दिनांक 23-11-2023 को मा0 मुख्य मंत्री जी को पत्र प्रेषित किया गया है, किन्तु अभी तक अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का संचालन प्रारम्भ नहीं हो सका है। कोर्ट के संचालन हेतु मानक के अनुरूप कोर्ट भवन आदि वर्ष 2020 से बनकर तैयार है, जनपद स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि वादकारियों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए तहसील राठ, जनपद हमीरपुर में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का संचालन प्रारम्भ कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

04 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

## नत्थी 'ज'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

**विषय :-** जनपद उन्नाव के नगर पालिका परिषद् वाजिदपुर उर्फ राजेपुर में रेलवे क्रॉसिंग से कमल वीर ब्राइट फ्यूचर एकेडमी तक सड़क बनवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन करना है कि जनपद उन्नाव में नगर पालिका परिषद् के आवास विकास कालोनी वाजिदपुर उर्फ राजेपुर में रेलवे क्रॉसिंग से हनुमान मन्दिर होते हुये कमल वीर ब्राइट फ्यूचर एकेडमी तक लगभग 01 कि०मी० सड़क व नाली खराब है तथा सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं, उक्त सड़क में जलभराव रहता है, जिससे समस्त राजेपुरवासियों को गड्ढे युक्त सड़क व जलभराव होने के कारण आस-पास के निवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिस सम्बन्ध में स्थानीय प्रशासन को कई बार लिखित व मौखिक रूप से अवगत कराया जा चुका है। इस कार्य हेतु जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद उन्नाव में नगर पालिका परिषद् के आवास विकास कालोनी वाजिदपुर उर्फ राजेपुर में रेलवे क्रॉसिंग से हनुमान मन्दिर होते हुये कमल वीर ब्राइट फ्यूचर एकेडमी तक लगभग 01 कि०मी० सड़क बनवाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।